

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी बायत..... मुकाम.....

जिला-बाउमेर

बनाम..... अमरराम बरारे..... गांमाराड फरद

किस्म मुकदमा..... नं. 258/22 सन् 2022

दाद आरुड

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>विठ्ठलराम सिन्हा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>16/06/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बायत जिला-बाउमेर</p>	
16/06/2022	<p><u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थीगिणे</u></p> <p>के नोटिस तामिल शुद्ध पत्र /</p> <p>जिसे शामिल पत्रावली किमा गमा।</p> <p>श्रीमान पीठामीन इन्विकारी डिग्न</p> <p>कार्यो मे अस्त होने से पत्रावली</p> <p>आईना दिनांक 24/06/2022 को</p> <p>पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही भव इनिशियलस जज

24/06/22

प्राथी वकील उपस्थित विप्राथीगण बाबजूद
तामिल अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज
लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई।
विप्राथीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता
उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्राथीगणों के विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्राथी
अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा
बताया गया कि प्राथी एवं विप्राथीगणों के खातेदारी खेत
सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्राथीगणों के खेत की
सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण्डे बने हुए थे जो वर्तमान में
आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्राथी एवं
विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हंगेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी
का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक
से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर
कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फौसल शुमार हो,
दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड सी. ए. व. वायतु
जिला-वाइमेर.

न्यायालय उपखण्ड
24/06/22
पृष्ठ 1/985

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1086
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 24-06-22
विप्रार्थीगण

1. अमराराम पुत्र भुराराम वगैरा 04,
जाति सुथार, निवासी नागोणा तला,
पटवार मण्डल कानोड,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

1. गोमाराम पुत्र कबीराराम वगैरा 22,
जाति सुथार, निवासी नागोणा तला,
पटवार मण्डल कानोड,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 258 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - नागोणा तला, पटवार मण्डल - कानोड, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 796/465, 799/465, 463 रकबा क्रमशः 4.7348, 8.6360, 0.0405 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद / 2022 / 1087 to 1091
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कानोड को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अमराराम पुत्र भुराराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री गोमाराम पुत्र कबीराराम वगैरा 22,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागोणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

24-06-22

उपखण्ड अधिकारी बायतु